(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2018/2544 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.02.2018 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 263/अपील/17-18.

लल्लू प्रसाद सोनी आ. स्व. कुंजी लाल सोनी
निवासी शास्त्री वार्ड, मुलताई, तह. मुलताई,
जिला बैतूल, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती माधुरी पत्नी स्व. श्री मदनलाल सोनी
2. मनोज पिता स्व. श्री मदनलाल सोनी,
3. नीलेश पिता स्व. श्री मदनलाल सोनी
4. सुमनिता उर्फ विनु पुत्री स्व. श्री मदनलाल सोनी

सभी निवासी शास्त्री वार्ड, मुलताई, तह. मुलताई,
जिला बैतूल, म.प्र. ....अनावेदकगण

श्री उमेश्वर दयाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 22.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा ग्राम खरसालो, तहसील मुलताई, जिला बैतूल स्थित भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 1.437 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 7 रकबा 1.801 हैक्टेयर कुल रकबा 3.238 हैक्टेयर भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण के संयुक्त नाम पर राजस्व अभिलेख वर्ष 2010-11 में दर्ज रही। उक्त प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत बैनामा दिनांक 17.06.1963 के माध्यम से लल्लूलाल, मदन वल्द कुंजीलाल बली, श्रीमती ग्यारसाबाई पत्नी कुंजीलाल सोनी साकिन मुलताई द्वारा विक्रेता मांगीलाल आ. टिल्लू सुनार से रू. 3000/- में क्रय की गई थी। सहक्रेता मदन के फौत होने पर उक्त भूमि में उनके वारिसान अनावेदकगण के नाम दर्ज हुए। अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, मुलताई के समक्ष अपनी संयुक्त प्रश्नाधीन भूमि के बंटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 1/2 हिस्से की मांग की गई, जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 39/अ-27/11-12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आपत्तिकर्ता अमरलाल उर्फ चिरोंजीलाल पिता कुंजीलाल सोनी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय किए जाने हेतु उसकी कमाई की राशि भी लगने से उसका स्वत्व व हक निहित होना अवगत कराते हुए आपत्ति ली गई। प्रकरण में उभय पक्षों की आपत्ति व सुनवाई उपरांत तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होना पाते हुए स्वत्व निराकरण हेतु 3 माह के लिए प्रकरण की कार्यवाही रोकी गई, किंतु व्यवहार न्यायालय के कोई आदेश पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत न होने की दशा में उनके द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 28.09.2013 पारित करते हुए आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य 1/2 भाग का बंटवारा स्वीकृत किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.09.2017 को आदेश पारित कर खारिज की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा दिवतीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 22.02.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही में फर्द बटान प्रतिवेदन में दोनों पक्षों के हस्ताक्षर एवं सहमति प्राप्त नहीं की गई, इसके अलावा पटवारी की टीप पर ध्यान ना देकर आदेश पारित

किया गया है। आदेश के परिणामस्वरूप बराकर भूमि दोनों पक्षों को नहीं मिली जो विधि विरूद्ध है तथा भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से उक्त के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं समस्त कार्यवाही हस्तक्षेप कर निरस्ती योग्य है।

(2) प्रतिवेदन में मौके पर एक एकड़ भूमि कम मिलने का उल्लेख एवं नक्शे का मिलान ना होने का पटवारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 25.02.2013 में किया है, जो कि अभिलेख पर है, जिसमें दो दिनांक 25.02.2012 तथा 25.02.2013 उल्लेखित है।

(3) तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही में आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया और ना ही उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का विधिवत निराकरण किया गया। इस कारण से आदेश दिनांक 28.09.2013 उक्त के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं समस्त कार्यवाही हस्तक्षेप कर निरस्ती योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष फर्द बंटवारे की कार्यवाही में नामांतरण नियम 6 का पालन नहीं किया गया, जिसके अंतर्गत प्रकाशन एवं आपत्ति एवं सभी पक्षों की सहमति एवं उपस्थिति में हस्ताक्षर लिये जाने चाहिए जो नहीं किये गये और आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील में ध्यान नहीं दिया गया, जो एक वैधानिक भूल है। अत: इस आधार पर आलोच्य आदेश एवं समस्त कार्यवाही हस्तक्षेप कर निरस्तनीय है।

(5) दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा तथ्यों से परे निष्कर्ष निकाले गये, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। मात्र कागजों पर बंटवारा किया गया है, जबकि अनावेदक को एक एकड़ जमीन कम मिली है एवं एक एकड़ पर भूमि पर बिजली विभाग के पोल लगे जिसके हटाने में करीब 20 लाख रू. का व्यय बिजली विभाग ने बताया गया, जिसका अभिलेख रिकॉर्ड पर है।

(6) प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान यह तथ्य निर्विवादित होने के बाद की कुल भूमि रकबा 3.238 में लल्लू प्रसाद सोनी एवं स्वर्गीय मदनलाल सोनी दोनों आधी भूमि के हकदार है, इसके बाद भी आवेदक को आधी भूमि नहीं मिली। उक्त तथ्य प्रमाणित होने के बाद भी आदेश प्रथम अपील निरस्त की, जो इस आधार पर आलोच्य आदेश एवं समस्त कार्यवाही हस्तक्षेप कर निरस्तनीय है।

(7) आयुक्त के समक्ष इस बिंदु पर कि मामला स्वत्व निर्धारण का होने से नियमानुसार तीन माह कार्यवाही रोकी गई, जबकि मामला स्वत्व का नहीं था, लेकिन राजस्व न्यायालय को कुल भूमि का

बंटवारा बराबर होना चाहिए, जो नहीं हुआ है एवं द्वितीय अपील में आवेदक के आधारों का निराकरण ना कर द्वितीय अपील निरस्त कर एक वैधानिक भूल की है। अतः इस आधार पर आलोच्य आदेश एवं समस्त कार्यवाही हस्तक्षेप कर निरस्तनीय है।

उनके द्वारा तर्कों के समर्थन में आवेदक द्वारा 1991 आर.एन. 8 एवं 1992 आर.एन. 4 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्थल पर पूरी भूमि उपलब्ध होना बताया है। आवेदक द्वारा बिजली के पोल संबंधी आपत्ति इस न्यायालय के समक्ष पहली बार निगरानी में उठाई गई है, इसलिए उक्त आपत्ति पर इस स्तर पर विचार किया जाना उचित नहीं है । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटान अनुसार खातेदारों के मध्य बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा यथावत रखा गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त निष्कर्ष एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर